छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक 27 सितम्बर, 08

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित अधिकारियों को दिशा–निर्देश।

उपरोक्त विषयांतर्गत भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली से प्राप्त पत्र क्रमांक 1/14/2008–आई.आर. दिनांक 28 जुलाई 2008 की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(व्ही.के. राय)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

27/9/08

पृ0 क्रमांक एफ 2–4/2008/1–सूअप्र (पार्ट–1) रायपुर, दिनांक सितम्बर, 08
प्रतिलिपि :–

(1) श्री कृष्ण गोपाल वर्मा, निदेशक, भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) नई दिल्ली की ओर पत्र क्रमांक 1/14/2008–आई.आर. दिनांक 28 जुलाई 2008 के संदर्भ में सूचनार्थ।

(2) सचिव, छ0ग0 सूचना आयोग, निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड, शंकर नगर, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

No 2453 /CS/08/GOI
Date - 6 AUG 2008

No.1/14/2008-IR
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel & Training
....

North Block, New Delhi
Dated: the 28th July, 2008

06 AUG 2008

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Clarification regarding Sub-sections (4) and (5) of Section 5 of the Right to Information Act, 2005.

***

6 AUG 2008

Sub-sections (4) and (5) of section 5 of the Right to Information Act, 2005 provide that a Public Information Officer (PIO) may seek the assistance of any other officer for proper discharge of his/her duties. The officer, whose assistance is so sought, shall render all assistance to the PIO and shall be treated as a PIO for the purpose of contravention of the provisions of the Act. It has been brought to the notice of this Department that some PIOs, using the above provision of the Act, transfer the RTI applications received by them to other officers and direct them to send information to the applicants as deemed PIO. Thus, they use the above referred provision to designate other officers as PIO.

2. According to the Act, it is the responsibility of the officer who is designated as the PIO by the public authority to provide information to the applicant or reject the application for any reasons specified in sections 8 and 9 of the Act. The Act enables the PIO to seek assistance of any other officer to enable him to provide information to the information seeker, but it does not give him authority to designate any other officer as PIO and direct him to send reply to the applicant. The import of sub-section (5) of section 5 is that, if the officer whose assistance is sought by the PIO, does not render necessary help to him, the Information Commission may impose penalty on such officer or recommend disciplinary action against him the same way as the Commission may impose penalty on or recommend disciplinary action against the PIO.

3. Contents of this OM may be brought to the notice of all concerned.

(K.G. Verma)
Director

1. All the Ministries / Departments of the Government of India
2. Union Public Service Commission/ Lok Sabha Sectt./ Rajya Sabha Secretariat/ Cabinet Secretariat/ Central Vigilance Commission/ President's

-188-
-43-

Secretariat/ Vice-President's Secretariat/ Prime Minister's Office/ Planning Commission/Election Commission.

3. Central Information Commission/State Information Commissions.
4. Staff Selection Commission, CGO Complex, New Delhi
5. O/o the Comptroller&Auditor General of India, 10, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.
6. All officers / Desks / Sections, DOP&T and Department of Pension and Pensioners Welfare.

Copy to: Chief Secretaries of all the States/UTs.

- 183 -
- 44 -

संO. 1/14/2008-आईआर
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक: 28 जुलाई,2008

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (4) और (5) के बारे में स्पष्टीकरण ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 की उप-धारा (4) और (5) के प्रावधान के अनुसार अपने कर्तव्यों के समुचित निर्वहन हेतु लोक सूचना अधिकारी किसी अन्य अधिकारी से सहायता मांग सकता है । जिस अधिकारी से इस तरह सहायता मांगी जाती है, उसे लोक सूचना अधिकारी को सहायता प्रदान करनी होगी और अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के संदर्भ में उसे लोक सूचना अधिकारी ही समझा जाएगा । इस विभाग के ध्यान में लाया गया है कि कई लोक सूचना अधिकारी अधिनियम के उपर्युक्त प्रावधान का संदर्भ देते हुए सूचना के लिए प्राप्त आवेदन पत्रों को अन्य अधिकारियों के पास स्थानान्तरित कर देते हैं तथा उन्हें निदेश देते है कि वे ही मानित लोक सूचना अधिकारी के रूप में आवेदनकर्ता को सूचना भेजें । इस प्रकार वे उपर्युक्त संदर्भित प्रावधान का प्रयोग अन्य अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करने के लिए करते हैं ।

2. अधिनियम के अनुसार, सूचना प्रदान करने अथवा अधिनियम की धारा 8 और 9 में विनिर्दिष्ट किन्हीं कारणों से आवेदन पत्र को निरस्त करना उस अधिकारी का दायित्व है जिसे लोक प्राधिकरण ने लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित किया है । अधिनियम ने लोक सूचना अधिकारी को किसी अन्य अधिकारी से सहायता मांगने का प्रावधान इसलिए किया है ताकि वह आवश्यक सूचना सहज प्राप्त कर सके । किन्तु अधिनियम उसे किसी अन्य अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के रूप में पदनामित करने या आवेदनकर्ता को उत्तर भेजने हेतु निदेशित करने का अधिकार नहीं प्रदान करता है । धारा 5 की उप-धारा (5) का अभिप्राय यह है कि यदि ऐसा अधिकारी जिससे लोक सूचना अधिकारी सहायता मांगता है , लोक सूचना अधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान नहीं करे तो सूचना आयोग ऐसे अधिकारी पर उसी तरह से शास्ति लगा सकता है अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर

-189-
-45-

सकता है जिस तरह से आयोग किसी लोक सूचना अधिकारी पर शास्ति लगा सकता है अथवा उसके विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश कर सकता है ।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की अन्तर्वस्तु को सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए ।

(के.जी. वर्मा)

निदेशक

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग.

2. संघ लोक सेवा आयोग/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/केन्द्रीय सतर्कता आयोग/राष्ट्रपति सचिवालय/उपराष्ट्रपति सचिवालय/प्रधानमंत्री कार्यालय/योजना आयोग/चुनाव आयोग.

3. केन्द्रीय सूचना आयोग/राज्य सूचना आयोग .

4. कर्मचारी चयन आयोग, सी.जी.ओ. कॉम्पलैक्स, नई दिल्ली.

5. . भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय, 10, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली.

6.. सभी अधिकारी/डैस्क/अनुभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभागप्रति प्रेषित : सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव ।